ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती इन्दू रानी	01.04.21 से 31.03.23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री संतोष कुमार	01.04.21 से 31.03.23

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01.04.2021 से 30.04.2021
2.	श्री अजय कुमार	01.05.2021 से 31.07.2021
3.	श्री ओंकार दत्त	01.08.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री सुभाष चंद	01.04.2021 से 31.07.2021
2.	श्री गोपाल कृष्ण	01.08.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत पद्दर के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	0.91
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	33.94
3	7(क, ख)	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.74
4	7 (ग)	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
5	8.1	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा दल प्रस्तुत न करने बारे	8.46
6	8.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से सम्भावित राजस्व हानि	0.23
7	9 (क, ख)	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पद्दर का गत अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2017 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट** - " **क** " पर दर्शाई गई है।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत पद्दर, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2024 से 15.02.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	07/21	11/21
2022-23	3/23	05/22

Disclaimer:- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी / सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 04/21 से 03/23 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण

ज्ञापन संख्या: 07/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 07 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम सभा में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 12.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - " ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्वः स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	2876420.69	531254.00	3407674.69	2543653.87	864020.82
2022-23	864020.82	457715.00	1321735.82	420397.00	901338.82

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	939485.70	5408233.00	6347718.70	3307651.00	3040067.70
2022-23	3040067.70	5052575.00	8092642.70	4697740.00	3394902.70

कुल योग (1+2) = 901338.82+3394902.70 = **4296241.52**

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹42,96,241.52** से सम्बन्धित विवरणी **(परिशिष्ट - " ग ")** निम्नानुसार है : -

बैंक खातों की विवरणी				
क्र०	विवरण	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष (₹)
1.	स्व स्त्रोत,5 वां वित्त, एस०डी०आर०एफ०, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, टी०एस०सी०, एम०पी०लेड०	दी०का०के० सह० बैंक पद्दर	20012007980	911097.17
2.	एम०एम०ए०जी०पी०वाई०	से०बैं०ऑफ०ई० पद्दर	3662089134	6464.70
3.	13 वां वित्तायोग	एच०डी०एफ०सि० पद्दर	50100028213337	180113.00
4.	14 वां वित्तायोग	आई०डी०बी०आई० बैंक पद्दर	1106104000045368	36872.00
		दी०का०के० सह० बैंक पद्दर	50068305616	650483.00
5.	15 वां वित्तायोग	से०बैं०ऑफ०ई० पद्दर	3849752885	2601972.00
	हस्तगत शेष			0.00
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग				₹4387001.87
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-				

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार {पैरा- 4 (क)} अन्तशेष	₹4296241.52
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-	₹4387001.87
अंतर :-	₹90760.35

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.91 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना :-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 अनुसार **₹90,760.35** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए निदेशक पंचायती के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनाँक

15.02.2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार खाता "ख" के अन्तर्गत स्कीमवार अलग-अलग बैंक खाते खोले जाने अपेक्षित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था, अपितु अन्य अनुदानों जैसे 5वां वित्त, एस०डी०आर०एफ०, ज़िला परिषद व पंचायत समिति आदि स्कीमों से प्राप्त निधि का पंचायत द्वारा स्वः-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता संख्या 20012007980 खोला गया था, जो कि उक्त नियम/निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आगामी वित्त वर्ष से नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत कर लिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन, नियम, निर्देशानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्वः-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०आर०एफ०, ज़िला परिषद व पंचायत समिति आदि अनुदानों का उल्लेखित निर्देशानुसार पृथक-पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है । इस बारे उचित

स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 08 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹33.94 लाख का अवरोधन

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 01/2024 दिनांक 12.02.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - "ख"** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹33,94,902.70** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परंतु ऐसा न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस

विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था की किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹01.74 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) गृहकर की राशि ₹0.86 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34** (**2**) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹86850/-** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टर का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके तथा गृहकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः सम्पत्ति कर की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुए लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	15750.00	710	50	35500.00	51300.00	0.00	51300.00
2022-23	51300.00	711	50	35550.00	86850.00	0.00	86850.00

(ख) दुकानों के किरायेदारों से देय किराये ₹0.87 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि के दुकानों के किराये का मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021-22 व 2022-23 हेतु कुल **16** दुकानों के किराये के रुप में **₹86900/-** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी। दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली रजिस्टर का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित दुकान के किराये तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके तथा दुकान के किराये का नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः सम्पत्ति कर की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष दुकान के किराये की राशि का विवरण **(परिशिष्ट - " घ")** :-

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2021-22	70800.00	51648.00	122448.00	52148.00	70300.00
2022-23	70300.00	54864.00	125164.00	38264.00	86900.00

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की वसूली न करने बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - " ड· "** में दिया गया है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 05 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा।

अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. व्यय

8.1 राशि ₹8.46 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश व माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अवधि में कनिष्ठ अभियंता स्तर व तकनीकी स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र०स० अनुदान	**निर्माण कार्य**	**कुल व्यय राशि (₹)**	**अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये**
1. मनरेगा	कार्य:- अपबर्धन श्मशान घाट नंदिकेश्वर धाम श्री चामुंडा मंदिर	129528.00	माप पुस्तिका, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।
2. मनरेगा	कार्य :- भूमि विकास कार्य भूमि सुरक्षा हेतु उत्तम चंद की जमीन से कर्म चंद की जमीन की ओर	91282.00	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।
3. मनरेगा	कार्य:- निर्माण रास्ता/पूली गुम्मा पूली से पलासु पूली तक	162782.00	माप पुस्तिका, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।
4. मनरेगा	कार्य :- निर्माण रास्ता/टियाला से पुल वार्ड नं 06 तक	142500.00	माप पुस्तिका, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।

5. मनरेगा	कार्य:- निर्माण लिंक रास्ता बलोनदी हार	141104.00	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।
6. मनरेगा	कार्य :- निर्माण रास्ता बाय पास रोड से लिंक रोड तक	179020.00	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश।
	कुल योग	**₹846216.00**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि उक्त कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति आदेश आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अत: अंकेक्षण के दौरान अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये वांछित अभिलेख हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.23 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के चयनित माह (11/2021) व (05/2022) रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट

पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट " च "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹22980.50** का अनियमित भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः **₹22980.50** का अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु से राशि ₹0.04 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

(क) निर्माण कार्य भूमि विकास कार्य भूमि सुरक्षा हेतु उत्तम चंद की जमीन से कर्म चंद की जमीन की ओर में ₹4300.00 के अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य भूमि विकास कार्य भूमि सुरक्षा हेतु उत्तम चंद की जमीन से कर्म चंद की जमीन की ओर की जांच के दौरान पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹4300.00 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम	भूमि विकास कार्य भूमि सुरक्षा हेतु उत्तम चंद की जमीन से कर्म चंद की जमीन की ओर
आपूर्तिकर्ता	श्री बरफीन कुमार

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका संख्या 0052 पृष्ठ संख्या 74-77
कार्य परिसंपत्ति संख्या	**1304009431/LD/32080487**
वाउचर संख्या व दिनांक	060 दिनांक 31/05/2022
बिल संख्या व दिनांक	38 / 07/02/2022

शीर्ष	**मद का नाम**	**कुल काम घन फुट**	**निविदा में अंकित दर प्रति घन फुट**	**अदा राशि प्रति घन फुट**	**अदा की गई राशि (₹)**	**निविदा अनुसार भुगतान की जाने वाली राशि (₹)**	**अधिक की गई राशि (₹)**
मनरेगा	फॉमवर्क / शटरिंग	860 घ०फु०	10/ घ०फु०	15 / घ०फु०	860**x**15=12900	860 **x** 10 = 8600/-	4300.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त निर्माण कार्य हेतु निविदा में अंकित दर से अधिक दर के भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्माण कूहल श्री पवन कुमार की जमीन से श्री संतोष कुमार की जमीन की ओर में अनियमित माप गणना के कारण ₹0.03 लाख के अधिक भुगतान बारे :-

निर्माण कार्य भूमि विकास कार्य भूमि सुरक्षा हेतु उत्तम चंद की जमीन से कर्म चंद की जमीन की ओर की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण **₹3118.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

कार्य का नाम	निर्माण कूहल श्री पवन कुमार की जमीन से श्री संतोष कुमार की जमीन की ओर
आपूर्तिकर्ता	श्री बरफीन कुमार
माप पुस्तिका संख्या व	माप पुस्तिका संख्या **072** पृष्ठ संख्या **78 -80**

पृष्ठ संख्या	
कार्य परिसंपत्ति संख्या	**1304009431/IC/32058744**
वाउचर संख्या व दिनांक	37 & 38 दिनांक 31/05/2022

Error: Recording excess length in Excavation in Item 2: -

In excavation work length taken 115 Mtrs, but in item No. 3 P/L CC 1:3:6 (Bed of Kuhl & both side Wall of Kuhl) total length had measured 90.4 Mtrs (115-90.4 =24.6 Mtrs measured extra in Excavation work).

This error has resulted in excess payment as under: -

Description of Item	Total Measurement as recorded in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
Item1: - Excavation in foundation & trenches	60.09 M^3	(60.09/115) x 24.6 = 12.85 M^3 @ ₹242.68/ M^3	3118.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि को तथ्यों सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम

पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज(समान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
3.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	बजट प्राक्कलन	11	37
6.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
9.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
10	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 06 दिनांक 15.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024 दिनांक 15.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 08 दिनांक 15.02.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा दिया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2337-2341 का०/50 06 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)201/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पद्दर विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/50

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति	विवरण
1	3	अनिर्णित	
2	4	निर्णित	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित
3	5	अनिर्णित	
4	6	अनिर्णित	
5	7	अनिर्णित	
6	8	अनिर्णित	
7	9	अनिर्णित	
8	10	अनिर्णित	
9	11	अनिर्णित	
10	12	अनिर्णित	

(दीपक सिंह पवानिया)
क० ले० प०

परिशिष्ट "ख"
पैरा 4(क) के संदर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP PADDAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2876420.69	531254.00	3407674.69	2543653.87	864020.82
2022-23	864020.82	457715.00	1321735.82	420397.00	901338.82

~~total~~

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	939485.70	5408233.00	6347718.70	3307651.00	3040067.70
2022-23	3040067.70	5052575.00	8092642.70	4697740.00	3394902.70

अमित कुमार

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP PADDAR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MMAGPY	2021-22	6102.70	180.00	6282.70	0.00	6282.70
		2022-23	6282.70	182.00	6464.70	0.00	6464.70
2	13TH FC	2021-22	168415.00	3808.00	172223.00	0.00	172223.00
		2022-23	172223.00	3933.00	176156.00	0.00	176156.00
3	14TH FC	2021-22	231331.00	1348470.00	1579801.00	846971.00	732830.00
		2022-23	732830.00	21142.00	753972.00	93662.00	660310.00
4	15TH FC	2021-22	533637.00	1595095.00	2128732.00	0.00	2128732.00
		2022-23	2128732.00	1341766.00	3470498.00	918526.00	2551972.00
5	MGNREGA	2021-22	0.00	2460680.00	2460680.00	2460680.00	0.00
		2022-23	0.00	3685552.00	3685552.00	3685552.00	0.00

अमित कुमार

परिशिष्ट "ग"
पैरा 4"ख" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत पद्दर के दिनांक 31.03.2023 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अनुसार 31.03.23 को	रोकड़ बही अनुसार 31.03.23 को	अंतर
1	स्व. स्रोत, 5 वाँ राज्य वित्तयोग, एस. डी.आर. एफ., जी. प., पी. एस., टी. एस. सी., एम. पी. एल. ए. डी.,	दी. कां. से. कॉ. ऑप. बैंक पद्दर	20012007980	911097.17	901338.82	9758.35
2	एम. एम.ए. जी.पी. वाई.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पद्दर	3662089134	6464.70	6464.70	0.00
3	13 वाँ वित्तयोग	एच. डी. एफ. सी. पद्दर	50100028213337	180113.00	176156.00	3957.00
4	14 वाँ वित्तयोग	आई. डी. बी. आई. बैंक पद्दर	1106104000045368	687355.00	660310.00	27045.00
5	14 वाँ वित्तयोग	दी. कां. से. कॉ. ऑप. बैंक पद्दर	50068305616			
6	15 वाँ वित्तयोग	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया पद्दर	3849752885	2601972.00	2551972.00	50000.00
	हस्तगत शेष			NIL	NIL	NIL
	कुल जोड़			4387001.87	4296241.52	90760.35

(दीपक सिंह पठानिया)
कनिष्ठ लेखा परीक्षक
हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला – 09

(परिशिष्ट "द" पैरा संख्या "7.3" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर , विकास खण्ड धर्मशाला , ज़िला काँगड़ा हि०प्र०, पिन - 176052

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में कुल 16 दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष:-

वित्तीयवर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेषराशि
2021-22	70800	51648	122448	52148	70300
2022-23	70300	54864	125164	38264	86900

अमित कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पद्दर
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

परिशिष्ठ "ङ"
पैरा संदर्भ 7 "ग"

हि० प्र० ग्रामीण विकास एवमं पंचायती राज विभाग

कार्यालय ग्राम पंचायत पद्दर

विकास खंड धर्मशाला काँगड़ा (हि० प्र०) पिन -176052

ग्राम पंचायत पद्दर के विवाह पंजीकरण रजि0 अनुसार निम्न पंजीकरण फीस लेना अभी शेष है। जिसकी सूची निम्न प्रकार से है:--

क्र0सं0	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	राशि
1.	अलोक दीक्षित	27.04.2021	11.10.2021	....	400
2.	अभिषेक	28.11.2021	25.12.2021	....	200
3.	श्याम कृष्ण	11.12.2021	10.01.2022	....	200
4.	शिशु पाल	13.12.2021	10.01.2022	....	200
5.	मुनीश	21.12.2021	10.01.2022	....	200
6.	विनोद कुमार	25.10.2021	10.01.2022	....	400
7.	पंकज	05.02.2022	10.01.2022	....	200
8.	संतोष कुमार	07.02.2022	07.03.2022	....	200
9.	मुनीश कुमार	23.01.2022	27.03.2022	....	400
10.	नितिन दीक्षित	02.05.2022	20.05.2022	....	200
11.	राकेश कुमार	23.04.2022	20.05.2022	....	200
12.	मान सिंह	04.05.2022	21.05.2022	....	200
13.	राहिल कुमार	03.07.2022	25.07.2022	....	200
14.	रिशव	09.08.2022	26.08.2022	....	200
15.	अशुतोष	05.09.2022	12.09.2022	....	200
16.	साजन	04.12.2022	02.01.2023	....	200
17.	राकेश	04.12.2022	03.01.2023	....	200
18.	अभिनाश	14.12.2022	11.01.2023	....	200
19.	रोहित	17.03.2023	25.03.2023	....	200
	कुल योग:--				4400/

परिशिष्ट "च"
पैरा 8.2. के संदर्भ में

Detail of Sand, Aggregate & Stone procure in 11/2021 & 05/2022 by GP Paddar

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (FEET)	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
MNREGA									
Ritu Sood	77/17/11/2021	469/12/06/2021	Sand	300	8.495	1.62	13.762	80.00	1100.96
			Bajri	300	8.495	1.52	12.912	80.00	1032.96
Ritu Sood	86/17/11/2021	468/12/06/2021	Sand	400	11.327	1.62	18.345	80.00	1467.60
			Bajri	400	11.327	1.52	17.217	80.00	1377.36
Ritu Sood	88/17/11/2021	467/12/06/2021	Sand	500	14.158	1.62	22.936	80.00	1834.88
			Bajri	500	14.158	1.52	21.520	80.00	1721.60
Ritu Sood	90/17/11/2021	470/12/06/2021	Sand	300	8.495	1.62	13.762	80.00	1100.96
			Bajri	200	5.663	1.52	8.608	80.00	688.64
Ritu Sood	01&02/31/05/2022	011/18/11/2021 012/22/11/2021	Sand	250	7.079	1.62	11.468	80.00	917.44
			Bajri	250	7.079	1.52	10.760	80.00	860.80
Ritu Sood	63 /31/05/20222	008/05/07/2021	Sand	175	4.955	1.62	8.027	80.00	642.16
			Bajri	200	5.663	1.52	8.608	80.00	688.64
Barfeen Kumar	09/31/05/2022	045/17/02/2022 & 023/01/11/2021	Stone	1500 nos.	12.000	2.24	26.880	80.00	2150.40
Ritu Sood	10/31/05/2022	009/08/07/2021	Sand	100	2.832	1.62	4.588	80.00	367.04
			Bajri	300	8.495	1.52	12.912	80.00	1032.96
Ritu Sood	11/31/05/2022	006/05/07/2021	Sand	100	2.832	1.62	4.588	80.00	367.04
			Bajri	300	8.495	1.52	12.912	80.00	1032.96
								Total	18384.40
								25% Penalty	4596.10
								G.Total	**22980.50**

Note : It is to certify that GP Paddar had not collected M form or neither deducted any royalty against above contractor bills.

Panchayat Assistant
Gram Panchayat Paddar
Development Block Dharamshala (HP)